

नाम  
26-11-21

115

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड  
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4—सुभाष रोड, देहरादून— 248001  
Email id-ceo [uttaranchal@eci.gov.in](mailto:uttaranchal@eci.gov.in) फोन नं (0135) 2713551  
[election09@gmail.com](mailto:election09@gmail.com) फोन नं (0135) 2713552

संख्या—2198 / XXV—12(11) / 2018 देहरादून : दिनांक 26 नवम्बर, 2021

सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तातरण के लिए प्रपत्र  
सेवा में,

समस्त लोक सूचना अधिकारी/  
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी,  
उत्तराखण्ड।

विषय— सूचना के अधिकार अधिनियम—2005 की धारा—6(3) के अन्तर्गत आवेदन  
पत्र का हस्तान्तरण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अनुरोधकर्ता श्री मोहित गोस्वामी, शारदा भवन, गंगाधर महादेव  
नगर, खड़खड़ी, रेलवे लाईन हाऊस नं०—२१ हरिद्वार का अनुरोध पत्र दिनांक—शून्य जो इस  
कार्यालय में दिनांक १६—११—२०२१ को प्राप्त हुआ है की प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित  
की जा रही है कि अनुरोध पत्र में चाही गयी सूचना आपके कार्यालय से सम्बन्धित है।

अतः अनुरोध पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम—2005 की धारा 6(3) के  
अन्तर्गत अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु हस्तान्तरित किया जा रहा है। कृपया अनुरोधकर्ता को वांछित  
सूचना अपने स्तर से नियमानुसार उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न—यथोपरि।

भवदीय,

*B S Rawat*  
(बसन्त सिंह रावत)  
अनुभाग अधिकारी एवं  
लोक सूचना अधिकारी।

प० संख्या 2198 / XXV—12(11) / 2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि— श्री श्री मोहित गोस्वामी, शारदा भवन, गंगाधर महादेव नगर नगर, खड़खड़ी, रेलवे  
लाईन हाऊस नं०—२१ हरिद्वार, उत्तराखण्ड, को सूचनार्थ प्रेषित।

*B S Rawat*  
(बसन्त सिंह रावत)  
अनुभाग अधिकारी एवं  
लोक सूचना अधिकारी।

संग्रह

जोड़ छवार आधिकारी  
तुरंग निवेदन आधिकारी - ३००१२०८८५

प्रकार - छवार के आधिकारों से

मानी गयी

प्रकार निवेदन है जो आधिकारी के निवेदन विवेत छवार की अवधारणा और छवार के आधिकारी के छवार तुरंग उपलब्ध करने के बाबत है।

- (1) आगामी विषय लाप्तीकरण निर्विचलन की २५९८५ के लिए उत्तराखण्ड  
के १३ जिलों में आपदा समाजानिल, आधिकारीका जैव-प्रकार, दृष्टि  
 गतिरेतर के कार्य के लिये निवेदन की गति एवं घटनाएँ वा प्रकप-व्यापक दिवाराएँ  
 जिनके विभुत वार्षिक काले के लिए उत्तराखण्ड शासन सरकार के द्वारा विभुत  
 नियमावली १९८८ मारुतीश्वर कैनिपाल के आत्मगत एवं राष्ट्रीय लोकों के लिए २००३  
 एवं एक २०१६ के आनंदगढ़ विभुत वार्षिक भवल वर्षी यादि अवलोकनी है जिनके पास  
 उत्तराखण्ड शासन के द्वारा A class विभुत तुरंग नियम वार्षिकीय दो बार  
 आपदारा निवेदन के इस दर्ता को आठिं बाराह ग्राम है या एक वर्ष  
 लगातार जिलों की निर्विचलन घटनाएँ जैव-प्रकार इनकी निवेदन वार्षिक तुरंग  
 उपलब्ध करने का बहुत ज्ञान लिये लिए जाने की विभुत नियमावली के नियम की गति  
 गतिरेतर कई लोकों की जाति के रखतरा पैदा कर सकती है जूपानी गतिरेतर  
 तुरंग छवार उपलब्ध करने का बहुत है।

नियम  
नियमावली

२०१६/२०१७ १०/१०/२०२१ तक २०१८/२०१९  
 रेलवे लाइन शासन नं० ४१ दीर्घी